



प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2025

गुरुग्राम के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करण ए चानना, राधिका चानना, अनीता डिंग, मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन करने के आरोप में 06.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1201.85 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है। माननीय विशेष न्यायालय ने 31.01.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने धोखाधड़ी, आपराधिक दुर्व्यवहार, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी आदि के लिए मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री करण ए चानना और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, 1860 के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 1.01 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई थी। ईडी ने अमीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य से संबंधित 131.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिसमें करनाल और फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित विशाल भूखंड और नई दिल्ली और गुरुग्राम में आवासीय घर शामिल हैं, जो आरोपी इकाई के पूर्व निदेशकों और समूह/सहायक/संबद्ध कंपनियों से संबंधित हैं। ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 08.10.2024 को मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीएफपीएल) के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों सुश्री अपर्णा पुरी और श्री राहुल सूद नामक 02 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी संस्थाओं ने एक-दूसरे के साथ-साथ अन्य संबंधित/असंबंधित संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके बैंकों के संघ द्वारा मंजूर किए गए ऋण कोष को वास्तविक व्यापारिक लेनदेन की आड़ में डमी निदेशकों वाली विभिन्न शेल संस्थाओं के खातों में और प्रवेश प्रदाताओं के माध्यम से ऋण निधियों को स्थानांतरित करने के माध्यम से अवैध रूप से डायवर्ट किया है। अन्य संस्था, परिवार के सदस्य के नाम पर यूके, यूई में रखी गई संपत्तियों की जांच जारी है।

आगे की जांच जारी है